


## उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ०प्र0

(ओ.डी.ओ.पी. प्रकोष्ठ) उत्तर प्रदेश



टेली / फैक्सः +91-0522 2616313

E-mail- odopcell@gmail.com

Website: http//www.odopup.in पत्रांक:- १५२ / ओ०डीं०ओ०पी० / 12 / 2024-25 प्रशिक्षण एवं टूलिकेट

दिनांक:- 26,06,2024

समस्त प्रशिक्षणदायी संस्थाऐं, संलग्न सूची के अनुसार।

विषय—''एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत दक्षता/कौशल विकास/उद्यमिता विकास प्रशिक्षण व टूलिकट वितरण योजनान्तर्गत'' वित्तीय वर्ष 2024—25 में आवंटित वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष जनपदों में प्रशिक्षण प्रदान कराये जाने हेतु प्रशिक्षणदायी संस्थाओं को नामित करने के सम्बन्ध में।

शासनादेश संख्या—347 / 18—4—2020—4 (विविध) / 20 दिनांक 05 मई 2020 एवं उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, कानपुर के कार्यालय आदेश संख्या—145—49 / 13—हस्त0 एवं नि0प्रो0 / वि०९०यो० / 2023—24 दिनांक 26.05.2023 में दिये गये दिशा—निर्देशों के अनुपालन में ''एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत दक्षता / कौशल विकास / उद्यमिता विकास प्रशिक्षण व टूलिकट वितरण योजनान्तर्गत'' वित्तीय वर्ष 2024—25 में समस्त जनपदों में 25000 उद्यमियों / हस्तशिल्पियों / कारीगरों को योजनान्तर्गत 10 दिवसीय प्रशिक्षण व टूलिकट प्रदान किये जाने हेतु कार्यालय पत्रांक—102 दिनांक 06.06.2024 द्वारा जनपदवार वार्षिक लक्ष्य आवंटित किया गया है।

योजनान्तर्गत संदर्भित शासनादेश के प्राविधानानुसार प्रशिक्षणदायी संस्थाओं का चयन कर लिया गया है। जनपदवार चयनित प्रशिक्षदायी संस्थाओं की सूची संलग्न है। (संलग्नक–1)

योजनान्तर्गत संदर्भित शासनादेश दिनांक 05 मई 2020 के प्राविधानों के अनुसार समस्त प्रशिक्षणदायी संस्थायें 10 दिवसीय प्रशिक्षण में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के दृष्टिगत जनपदों में प्रशिक्षण सम्पन्न कराते हुये निम्नलिखित बिन्दुओं का विशेष रूप से अनुपालन स्निश्चित करेगीं :-

- 1. योजनान्तर्गत संदर्भित शासनादेश एवं उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदे शालय, कानपुर के कार्यालय आदेश संख्या—145—49/13—हस्त0 एवं नि0प्रो0/वि0श्र0यो0/2023—24 दिनांक 26.05.2023 मे दिये गये दिशा—निर्देशों के अनुसार विभागीय ई—पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्र ही उपायुक्त उद्योग द्वारा ऑन—लाइन रूप से चयनोंपरान्त सम्बन्धित प्रशिक्षणदायी संस्था को अग्रसारित किये जायेंगे।
- 2. शासन के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग—4 के पत्र संख्या—316 / 18—4—2024 दिनांक 08 मई, 2024 में दिये गये निर्देशों के अनुसार योजनान्तर्गत संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम को और अधिक उपयोगी बनाने के लिये स्थानीय मास्टर क्राफ्टमैन एवं



शिल्पगुरूओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम में वक्ता के रूप में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाये।

- 3. प्रशिक्षणदायी संस्थायें जनपदों में समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रय स्वयं सम्पन्न कराना सुनिष्टिचत करेगी। किसी भी थर्ड पार्टी संस्था के माध्यम से काई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न नहीं कराया जायेगा।
- 4. समस्त प्रशिक्षणदायी संस्थाऐं उपयुक्त प्रशिक्षण स्थल में ही प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेगी। प्रशिक्षण स्थल ऐसा होना चाहिए, जिसमें सुगमतापूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न कराया जा सके। प्रशिक्षार्थियों को बैठने आदि की कोई असुविधा न हो। प्रशिक्षण स्थल ऐसी जगह हो जहाँ पर प्रशिक्षार्थियों के आवागमन में कोई असुविधा न हो।
- 5. समस्त प्रशिक्षणदायी संस्थाऐं संदर्भित शासनादेश के प्राविधानानुसार जनपदों में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सम्पन्न करायेंगी, प्रशिक्षणोंपरान्त प्रशिक्षित लाभार्थियों का संबंधित सेक्टर स्किल काउंसिल्स के माध्यम से असेसमेंट कराते हुये RPL प्रमाणीकरण भी कराना सुनिश्चित करेगी, उसके उपरान्त ही संदर्भित शासनादेश के अनुसार 50% द्वितीय व अन्तिम किश्त की धनराशि का अवशेष 25% धनराशि का भूगतान किया जायेगा।
- 6. समस्त प्रशिक्षणदायी संस्थाओं द्वारा जनपदों में प्रशिक्षण प्रारम्भ करने से पूर्व संलग्नक—्र पर अनिवार्य रूप से सूचना ओ०डी०ओ०पी० प्रकोष्ठ, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।
- 7. प्रशिक्षणोंपरान्त टूलिकेट प्राप्त इच्छुक लाभार्थियों को बैंको की विभिन्न स्वरोजगारपरक ऋण योजनाओं यथा—प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं ओ०डी०ओ०पी० वित्त पोषण सहायता योजना इत्यादि के माध्यम से ऋण प्रदान करने हेतु लाभार्थियों की हैण्ड होल्डिंग की जाये। इस सम्बन्ध में ऋण प्राप्त करने के इच्छुक लाभार्थियों की निर्धारित प्रारूपों पर आवेदन पत्रों की सूची तैयार करते हुये सम्बन्धित जनपद के उपायुक्त उद्योग को उपलब्ध करायी जायेगी तथा उक्त सूची उपायुक्त उद्योग द्वारा जिला आग्रणी बैंक प्रबन्धक को अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रसारित की जायेगी।
- 8. जनपदों में प्रशिक्षण प्रारम्भ करने से पूर्व प्रशिक्षणदायी संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा संलग्न प्रारूप (संलग्नक—2) पर सूचना सम्बन्धित जनपद के उपायुक्त उद्योग, सम्बन्धित परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त आयुक्त उद्योग एवं ओ०डी०ओ०पी० प्रकोष्ठ, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।
- 9. प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रारम्भ होने से पूर्व सभी चयनित प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षणदायी संस्थाओं द्वारा एस०एम०एस० (SMS) एवं अन्य माध्यमों से सूचित किया जायेगा। उक्त के सम्बन्ध में उपायुक्त उद्योग द्वारा भी सभी प्रशिक्षार्थियों को अपने स्तर से भी सूचित किया जायेगा।
- 10. उपायुक्त उद्योग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न हों। सम्बन्धित परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त आयुक्त उद्योग द्वारा भी समय—समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का औचक निरीक्षण करते हुये प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी।
- 11. प्रशिक्षणोंपरान्त संलग्नक प्रारूप (संलग्नक—3) पर उपायुक्त उद्योग द्वारा प्रशिक्षण सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रमाण—पत्र ओ०डी०ओ०पी० प्रकोष्ठ, लखनऊ को प्रेपित किया जायेगा।



अतः उक्तानुसार योजनान्तर्गत संदर्भित शासनादेश में निहित प्राविधानानुसार प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ—साथ योजना की प्रगति भी नियमित रूप से विभागीय ई—पोर्टल पर अपडेट कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

Ou

(राजेश कुमार) आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उत्तर प्रदेश।

पृ०सं० १५२ उक्ततद्दिनांक २६०५,८०८५ प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि योजनान्तर्गत संदर्भित शासनादेश एवं उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, कानपुर के कार्यालय आदेश संख्या—145—49/13—हस्त० एवं नि०प्रो०/वि०श्र०यो०/2023—24 दिनांक 26.05.2023 मे दिये गये दिशा—निर्देशों के अनुसार सम्बन्धित प्रशिक्षणदायी संस्थाओं से समन्वय करते हुये गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण ससमय सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

2. समस्त अपर / संयुक्त आयुक्त उद्योग, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालृय् उ०प्र० को योजना की

प्रगति का समुचित अनुश्रवण करने हेतु।

on

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, ्र उत्तर प्रदेश।

## (पत्रांक-15-2 दिनांक 26.06.25 का संलग्नक)

''एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत दक्षता / कौशल विकास / उद्यमिता विकास प्रशिक्षण व टूलकिट वितरण योजनान्तर्गत'' वित्तीय वर्ष 2024—25 में जनपदों में प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु जनपदवार प्रशिक्षणदायी संस्थाओं की सूची :—

प्राशिष	प्तण प्रदान कियं जान हेतु जनप	गदवार प्राशक्षणदाया संस्था	आ का सूपा —
क्र0			ओ०डी०ओ०पी० उत्पाद
संo	प्रशिक्षणदायी संस्था का नाम	जनपद का नाम	/अतिरिक्त ओ०डी०ओ०पी०
			उत्पाद का नाम
1	2	3	4
		4 77777 नेटान	जस्ते के बर्तन एवं प्लास्टिक
		1. कानपुर देहात	जत्पाद
		2. झांसी	कोमल खिलोने (सॉफ्ट ट्वॉयज) एवं वस्त्र उत्पाद
			जरी–सिल्कसाड़ी एवं खाद्य
		० जिल्लाम	प्रसंस्करण, स्कूलड्रेस (रेडीमेंड
		3. ललितपुर	गारमेंट्स/होजरी)
			वेडशीट एवं आयरन फैब्रीकेशन
		4. फतेहपुर	वर्क्स
		5. कासगंज	ज़री–ज़रदोज़ी
		6. बांदा	शजर पत्थर शिल्प
		7. मिर्जापुर	कालीन
	P ·	8. शामली	लौहकला
1	यूपिकॉन, लखनऊ। (19 जनपद)	9. संतकबीरनगर	पीतल के वर्तन एवं होजरी उत्पाद
'	(13 31 1 13)	10. बाराबंकी	हथकरघा उत्पाद एवं वस्त्र उत्पाद
		11. सोनभद्र	कालीन
		12. महराजगंज	फर्नीचर
		13. वस्ती	काष्ठशिल्प (वुड क्राफ्ट) एवं
		15. 41(1)	सिरका उत्पाद
		1	स्वच्छता सम्बन्धी उपकरण तथा
		14. मथुरा	ठाकुरजी की पोशाक, श्रृंगार मूर्ति एवं कण्ठीमाला उत्पाद
		15. फर्रुखावाद	वस्त्र छपाई (टेक्सटाईल प्रिंटिंग)
		15. 470/01414	एवं ज़री ज़रदोजी
		16. मुजफ्फरनगर	गुङ् उत्पाद
		17. कौशाम्बी	खाद्य प्रसंस्करण (केला, अमरूद)
		18. कुशीनगर	केले के रेशे से वने उत्पाद तथा केले के उत्पाद
		19. प्रतापगढ़	खाद्य प्रसंस्करण (ऑवला)
			दुग्ध प्रसंस्करण (देशी घी) एवं
		1. औरैया	मिल्क प्रोडक्ट
		2. विजनौर	काष्टशिल्प (वुड काफट)
2.	उद्यमिता विकास संस्थान, लखनऊ।	3. अमरोहा	वाद्य यंत्र (ढोलक) एवं रेडीमेड गारमेंट्स
	(20 जनपद)	4. हाथरस	हींग प्रंसरकरण एवं रेडीमेड गारमेंट्स
		5. मऊ	वस्त्र उत्पाद
		6. सम्भल	सींघ एवं अस्थि उत्पाद



त्रस्त प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद, त्रस्त प्रवेदासन्पर्प काष्ट्रीहर्म प्रवेद के अप्ताद (सामी साई)  8. देवरिया  9. बदायू  10. हापुड  11. युक्त-दशहर  12. एटा  13. मैनपुरी  14. गाजीपुर  15. चन्दौली  16. विस्वार्धनगर  17. वलरामपुर  18. गोण्डा  18. गोण्डा  19. रामपुर  19.				T
8. देवरिया   वुनाई सम्बन्धी उत्पाद एवं रेडीमें, गारमेंट्स जिस्निय एवं रेडीमें, गारमेंट्स जिस्ने प्राप्त हुए रेडीमें, गारमेंट्स जिस्ने जरपाद   10. हापुड   घरेलू सजावटी सामान   11. बुलन्दशहर   सिरेमिक्स उत्पाद   12. एटा   पुंघक घंटी एवं पीतल उत्पाद   13. मैनपुरी   तारकशी कला   14. गाजीपुर   जूट वॉल हैगिग्स   15. वन्दौली   जुरी—जरदोजी एवं काला चावल   16. सिद्धार्थनगर   खाद्य प्रसंस्करण (वाल व मक्का)   व खाद्य प्रसंकरण (वाल व प्रयोद्य प्रसंव वाल प्रसंव वाल प्रसंव वाल प्रसंव वाल प्रसंव वाल अवचर   व खाद्य प्रसंकरण   व खाद्य प्रसंव वाल अवचर   व खाद्य प्रसंव वाल वाल वाल वाल वाल वाल वाल वाल वाल वा			7. आजमगढ़	काली मिट्टी की कलाकृतियाँ एवं वस्त्र उत्पाद (रेशमी साड़ी)
10. हापुढ घरेल, सजावटी सामान 11. बुलन्दशहर सिरोमिक्स उत्पाद 12. एटा घृंघरू घंटी एवं पीतल उत्पाद 13. मैनपुरी तारकशी कला पूट बॉल हैगिग्स 15. चन्दौली ज़री-ज़रदोज़ी एवं काला चावल 16. सिद्धार्थनगर खाद्य प्रसंस्करण (दाल) 17. बलरामपुर खाद्य प्रसंस्करण (दाल) 18. गोण्डा खाद्य प्रसंस्करण (दाल व मक्का) व खाद्य प्रसंस्करण 19. रामपुर चैंचर्क के साथ एप्टिक कर्क, जर्भ चैंचवर्क एवं मेथा व स्थान प्रदेश कार्विग, व स्थान प्रसंस्करण 1. अलागद्य प्रसंस्करण 1. अलागुर कनी दरी 9. जन्नाव जरी-ज़रदोज़ी 1. वागपत घरेलू सजावटी सामान 2. अयोध्या गुंड उत्पाद 3. सुल्तानपुर स्जावटी सामान 2. अयोध्या गुंड उत्पाद प्रसंस्करण 4. पीलीगीत वांसुरी एवं वुड उत्पाद 5. बलिया वांसुरी एवं वुड उत्पाद 6. महोबा गौरा पत्थरितन्य एवं धातुशित्य पूर्व फर्नीचर 8. जालीन इस्त निर्मित कागज एव मटर पूर्व फर्नीचर वक्त वीं के विवत्ती पर्य कारकाल			200 - 1 200 - 1 200 C	बुनाई सम्बन्धी उत्पाद एवं रेडीमेड गारमेंट्स
11. बुलन्दराहर सिरोमिक्स उत्पाद 12. एटा पुंघरू घंटी एवं पीतल उत्पाद 13. मैनपुरी तारकशी कला 14. गाजीपुर जूट वॉल हैगिंग्स 15. चन्दौली ज़री-ज़रदोज़ी एवं काला चावल 16. रिब्र्ह्मधनगर खाद्य प्रसरकरण (काला नमक चावल) 17. वलरामपुर खाद्य प्रसरकरण (वाल) 18. गोण्डा खाद्य प्रसरकरण (वाल व मक्का) व खाद्य प्रसरकरण व खाद्य प्रसरकरण 19. रामपुर चैचवर्क ऐवं मेथा काष्टकला (युड कर्क) ताले एवं हाडवेयर तथा मेटल हैण्डीक्रागट 2.सहारनपुर काष्टिल्ल (बुड कार्विंग) 3.शाहरूतपुर काष्टिल्ल (बुड कार्विंग) 3.शाहरूतपुर काष्टिल्ल (बुड कार्विंग) 3.शाहरूतपुर काष्टिल्ल (बुड कार्विंग) 5. स्ता रिवेदासनगर (भदोही) 6. सीतापुर कार्लीच 6. सीतापुर कार्लीच 7. यहराइच गेहूँ के डण्टल की कलाकृतियाँ एवं खाद्य प्रसरकरण 8. जीनपुर क्रमी दरी 9. उन्नाव ज़री-ज़रदोज़ी 1. वागपत घरेल, सजावटी सामान 2. अयोध्या गुड उत्पाद 3. सुल्तानपुर स्तावटी सामान 2. अयोध्या गुड उत्पाद 4. पीलीमीत घासुरी एवं बुड उत्पाद 5. बलिया 6. महोबा गीरा पत्थरीरत्य एवं धातुरीराय एवं फर्जीचर 8. जालीन 7. शावस्ती जनजातीय शिल्प (ट्राइवल काफ्ट एवं फर्जीचर 8. जालीन			9. बदायू	ज़री–ज़रदोज़ी
12. एटा घुंघरू घंटी एवं पीतल जरपाव  13. मैनपुरी तारकशी कला  14. गाजीपुर जूट वॉल हैंगिंग्स  15. चन्दौली ज़री-जरदोज़ी एवं काला चावल)  17. बलरामपुर खाद्य प्रंसरकरण (दाल)  18. गोण्डा खाद्य प्रसंस्करण (दाल)  19. रामपुर चैंचवर्क के साथ एपिक वर्क, जर्म चैंचवर्क एवं मेथा  20. रायवरेली काष्ट्रकला (युड वर्क)  1.अलीगढ़ ताले एवं हार्डवेयर तथा मेटल हैण्डीक्रायट  2.सहारमपुर काष्ट्रिल्ल (युड कार्विग)  3.शाहजहाँपुर जरी-जरदोज़ी  4.आलियावाद यांत्रिक जलान  6. सीतापुर वरी-जरदोज़ी  7. यहराइच गेंहूँ के डण्डल की कलाकृतियाँ  एवं खाद्य प्रसंस्करण  8. जीनपुर जनी-जरदोज़ी  10. हरदोई जरी-जरदोज़ी  11. वागपत घरेलू सजावटी सामान  2. अयोध्या गुड़ उत्पाद  3. सुल्तानपुर मृज उत्पाद लाखा आयरन एण्ड स्टील फैक्रीकशान  4. पीलीमीत वांसुरी एवं वुड उत्पाद  5. संतिया विदी  6. सहोवा गीरा पत्थरशिल्य एवं धातुशित्य  7. श्रावस्ती हस्त निर्मित कागज एव मटर प्रसंस्करण  8. जालीन इस्त निर्मित कागज एव मटर प्रसंस्करण			10. हापुड	घरेलू सजावटी सामान
13. मैनपुरी   तारकशी कला   14. गाजीपुर   जूट वॉल हैगिग्स   15. चन्दौली   जुट वॉल हैगिग्स   15. चन्दौली   जुट वॉल हैगिग्स   16. सिद्धार्थनगर   खाद्य प्रसंस्करण (दाल) वायल   यावल   यावल   यावल   यावल प्रसंस्करण (दाल) व यावण प्रसंस्करण (दाल) व यावण प्रसंस्करण (दाल) व यावण प्रसंस्करण (दाल व मक्का) व यावल प्रसंस्करण (दाल व मक्का) व यावल प्रसंस्करण (दाल व मक्का) व यावल एवं हाढेयेथर तथा मेटल हैण्डीकापट   2.सहारनपुर काण्डियल (दुड काठिंग)   3.साहजहाँपुर काण्डियल (दुड काठिंग)   3.साहजहाँपुर काण्डियल (दुड काठिंग)   3.साहजहाँपुर काण्डियल (दुड काठिंग)   4.साजियावाव यात्रिकी उत्पाद   यात्रिकी उत्पाद   दिरी काण्यावाव यात्रिकी उत्पाद   विशेष काण्डितियाँ एवं याच प्रसंस्करण   8. जौनपुर की कलाकृतियाँ एवं याच प्रसंस्करण   8. जौनपुर की कलाकृतियाँ एवं याच प्रसंस्करण   8. जौनपुर की वर्ण क्राचेजी   1. वागपत घरेलू सजावटी सामान   2. अयोध्या पुड उत्पाद   3. सुल्तानपुर स्टील फेंग्रीकेशन   यांसुरी एवं युड उत्पाद   4. पीलीभीत वांसुरी एवं युड उत्पाद   4. पीलीभीत वांसुरी एवं युड उत्पाद   5. तिया विदी   6. महोबा गौरा पत्थरशित्य एवं धातुशित्य   एवं फर्नीचर   एवं काण्डकल   एवं फर्नीचर   एवं काण्डकल   एवं फर्नीचर   एवं काण्डकल   एवं फर्नीचर   एवं काण्डकल   एवं कालीवर   एवं काण्डकल   एवं कालीवर   एवं काण्डकल   एवं फर्नीचर   एवं काण्डकल   एवं कालीवर			11. बुलन्दशहर	सिरेमिक्स उत्पाद
14. गाजीपुर जूट वॉल हैंगिंग्स     15. चन्दौली जुरी—ज़रदोज़ी एवं काला चावल     16. सिद्धार्थनगर खाद्य प्रसरकरण (दाला नमक चावल)     17. वलरामपुर खाद्य प्रसरकरण (दाल व मक्का) व खाद्य प्रसरकरण (दाल के के साथ प्रसर्व का मेटल है एंडोक्रापट     1.अलीगढ़ कार्चिंग) वार्तिक जिल्ला हैं। वार्तिक जिल्ला कार्य व चार्तिक			12. एटा	घुंघरू घंटी एवं पीतल उत्पाद
15. चन्दौली ज़री-ज़रदोज़ी एवं क़ाला चावल  16. सिद्धार्थनगर खाद्य प्रसरकरण (काला नमक चावल)  17. बलरामपुर खाद्य प्रसरकरण (काला नमक चावल)  18. गोण्डा खाद्य प्रसरकरण (वाल व मक्का) व खाद्य प्रसरकरण (वुड वर्क)  1.अलीगढ़ चित्रके के साथ एपिलक वर्क, जरे पैचवर्क रुप मेथा  20. रायबरेली काष्ठकला (वुड वर्क)  1.अलीगढ़ काष्ठिरत्य (वुड कार्विग)  3.शाहजहाँपुर काष्ठिरत्य (वुड कार्विग)  3.शाहजहाँपुर काष्ठिरत्य (वुड कार्विग)  4.गाजियावाद गातिकी उत्पाद  5. संत रविदासनगर (मदोही) कालीन  6. सीतापुर वरी  7. बहराइच एवं खाद्य प्रसरकरण  8. जौनपुर कनी दरी  9. उन्नाव ज़री-ज़रदोजी  10. हरदोई ज़री-ज़रदोजी  10. हरदोई ज़री-जुरदोजी  10. हरदोई ज़री-जुरदोजी  11. बागपत घरेल, सजावटी सामान  2. अयोध्या गुड उत्पाद  4. पीलीभीत बांसुरी एवं युड उत्पाद  5. बलिया विदी  6. महोबा गौरा परधरशित्य एवं धातुशित्य  एवं फ़र्मीचर  8. जालौन इस्त निर्मित कागज एव मटर प्रसरकरण जकडी के विलोने एवं काष्ठकराव			13. मैनपुरी	तारकशी कला
16. सिद्धार्थनगर खाद्य प्रसंस्करण (काला नमक चावल) 17. बलरामपुर खाद्य प्रसंस्करण (दाल) 18. गोण्डा खाद्य प्रसंस्करण (दाल व मक्का) व खाद्य प्रसंस्करण (वाल व मक्का) व खाद्य प्रसंस्करण (वाल व मक्का) व खाद्य प्रसंस्करण (के साथ एप्टिक वर्क, जरे पैचवर्क के साथ एप्टिक वर्क, जरे पैचवर्क एवं मेथा  20. रायवरेली काष्ठकला (वुड वर्क)  1.अलीगढ़ 2.सहारनपुर काष्ठिशत्य (वुड कार्विग) 3.शाहजहाँपुर जाप्टिशत्य (वुड कार्विग) 4.गाजियावाद यात्रिकी उत्पाद 5. संत रविदासनगर (मदोही) कालीन 6. सीतापुर दरी 7. बहराइच गेहूँ के डण्डल की कलाकृतियाँ एवं खाद्य प्रसंस्करण 8. जौनपुर जनी दरी 9. जनाव जरी-जरदोजी 10. हरदोई जरी-जरदोजी 11. बागपत घरेल, सजावटी सामान 2. अयोध्या गृड उत्पाद मूंज उत्पाद तथा आयरन एण्ड रटील फेंग्रीकेशन 4. पीलीमीत बांसुरी एवं वुड उत्पाद 5. बिलेया विदी 6. महोबा गौरा परथरशित्य एवं धातुशित्य एवं फर्नीचर 8. जालौन पर काष्ठकला			14. गाजीपुर	जूट वॉल हैगिंग्स
अल्लर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद, लखनऊ ।     (10 जनपद)      अल्लर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद, लखनऊ ।     (10 जनपद)      अल्लर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद, लखनऊ ।     (10 जनपद)      अल्लर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद, लखनऊ ।     (10 जनपद)      अल्लर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद, लखनऊ ।     (10 जनपद)      अल्लर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद, लखनऊ ।     (10 जनपद)      अल्लर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद, लखनऊ ।     (10 जनपद)      अल्लर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद, लखनऊ ।     (10 जनपद)      अल्लर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद, लखनऊ ।     (10 जनपद)      अल्लाव जरिंग अल्लेख कार्विंग)      अल्लाव जरी-जरदोजी     10. हरदोई जरी-जरदोजी     11. वागपत घरेलू सजावटी सामान     2. अयोध्या गुड़ जत्पाद     3. सुल्तानपुर स्टील फेब्रीकेशन     4. पीलीभीत बांसुरी एवं युड उत्पाद     5. बलिया विदेश     3. सुल्तानपुर परेवाद तथा आयरन एण्ड स्टील फेब्रीकेशन     4. पीलीभीत बांसुरी एवं युड उत्पाद     5. बलिया विदेश     7. अवस्ती जनजातीय शिल्प (द्राइवल कापट एवं फर्नीघर     7. आवस्ती वर्षनेतिंग एवं काप्रकल्ल			15. चन्दौली	जरी-जरदोज़ी एवं काला चावल
18. गोण्डा   वाद्य प्रसंस्करण (दाल व मक्का) व खाद्य प्रसंस्करण व के साथ एप्लिक वर्क, जर्भ पैचवर्क एवं मेथा व काष्ट्रकला (बुड वर्क) वाले एवं हार्डवेयर तथा मेटल हुण्डीकापट व खाने कार्लिंग (बुड कार्विंग) 3.शाहजहाँपुर काष्ट्रशिल्प (बुड कार्विंग) 3.शाहजहाँपुर काष्ट्रशिल्प (बुड कार्विंग) 3.शाहजहाँपुर कार्लिंग (बुड कार्विंग) व गांत्रिकी उत्पाद व खाने कार्लीन व सीतापुर व स्री कार्लीन व सीतापुर कि सीतापुर करनी वरी कार्लन व कार्लिंग एवं खाद्य प्रसंस्करण व कार्ले का			16. सिद्धार्थनगर	
19. रामपुर   पैचवर्क के साथ एप्लिक वर्क, जर् पैचवर्क एवं मेंथा   20. रायवरेली   काष्ठकला (वुड वर्क)   1.अलीगढ़   ताले एवं हार्डवेयर तथा मेटल हैण्डीक्रामट   व्याह्म काष्ट्रीरात्य (बुड कार्विग)   3.शाहजहाँपुर   काष्ट्रीरात्य (बुड कार्विग)   3.शाहजहाँपुर   काष्ट्रीरात्य (बुड कार्विग)   3.शाहजहाँपुर   काष्ट्रीरात्य (बुड कार्विग)   3.शाहजहाँपुर   काष्ट्रीरात्य (बुड कार्विग)   4.गाजियाबाद   यांत्रिकी उत्पाद   वर्षा प्रात्निकी उत्पाद   वर्षा रविद्यासनगर (भवोही)   कालीन   6. सीतापुर   दरी   7. वहराइच   गेहूँ के डण्डल की कलाकृतियाँ एवं खाद्य प्रसंस्करण   8. जौनपुर   फरी—जरदोज़ी   10. हरदोई   जरी—जरदोज़ी   10. हरदोई   जरी—जरदोज़ी   11. वागपत   घरेलू सजावटी सामान   2. अयोध्या   गुड उत्पाद   यूंच जरपाद तथा आयरन एण्ड स्टील फेब्रीकेशन   वासुरी एवं वुड उत्पाद   5. बिलेया   विदी   कार्याच्या   तिदी   तिदी   7. श्रावस्ती   गौरा पत्थरशिल्प एवं धातुशिल्प   7. श्रावस्ती   हस्त निर्मित कांगज एवं मटर प्रसंस्करण   ककडी के विव्योंने एवं काष्टरकल			17. बलरामपुर	
19. रामपुर पैचवर्क के साथ एप्लिक वर्क, जर पैचवर्क एवं मेंथा 20. रायवरेली काष्टकला (बुढ वर्क)  1.अलीगढ़ ताले एवं हार्डवेयर तथा मेटल हैण्डीक्राफ्ट कार्डिशल्प (बुढ कार्विग) 3.शाहजहाँपुर कार्डिशल्प (बुढ कार्विग) 4.गाजियावाद यांत्रिकी उत्पाद 5. संत रविदासनगर (भदोही) कालीन 6. सीतापुर दरी 7. वहराइच गेहूँ के डण्डल की कलाकृतियाँ एवं खाद्य प्रसंस्करण 8. जौनपुर फनी चरी 9. उन्नाव ज़री—ज़रदोज़ी 10. हरदोई ज़री—ज़रदोज़ी 11. वागपत घरेलू सजावटी सामान 2. अयोध्या गुढ़ उत्पाद 3. सुत्तानपुर मूंज उत्पाद सामान 2. अयोध्या गुढ़ उत्पाद 3. सुत्तानपुर मूंज उत्पाद तथा आयरन एण्ड स्टील फेब्रीकेशन 4. पीलीभीत बांसुरी एवं वुढ उत्पाद 5. बिलया 6. महोबा गौरा पत्थरशिल्प एवं धातुशिल्प 7. श्रावस्ती गनजातीय शिल्प (ट्राइवल कापट एवं फर्नीचर 8. जालौन 8. जालौन			18. गोण्डा	खाद्य प्रसंस्करण (दाल व मक्का) व खाद्य प्रसंस्करण
3. चत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद, लखनऊ । (10 जनपद)  4. गाजियावाद यात्रिकी उत्पाद कालीन (10 जनपद)  5. संत रिवापुर जाण्डिशित्य (वुड कार्विग)  4. गाजियावाद यात्रिकी उत्पाद कालीन (10 जनपद)  7. वहराइच गेहूँ के डण्डल की कलाकृतियाँ एवं खाद्य प्रसंस्करण (8. जीनपुर जनी दरी 9. उन्नाव ज़री-ज़रदोज़ी 10. हरदोई ज़री-ज़रदोज़ी 10. हरदोई ज़री-ज़रदोज़ी 11. वागपत घरेलू सजावटी सामान 2. अयोध्या गुड़ उत्पाद मूंज उत्पाद तथा आयरन एण्ड स्टील फैग्रीकेशन 4. पीलीभीत वांसुरी एवं वुड उत्पाद 5. बिलेया विंदी जनजातीय शिल्प (ट्राइवल काफ्ट एवं फनीचर (ट्राइवल काफ्ट एवं फनीचर (ट्राइवल काफ्ट पूर्व फनीचर प्रसंस्करण करूड़ी के विंवनीन एवं काफ्टकल व्हर्ज के विंवनीन एवं काफ्टकल विंवनी विंव			19. रामपुर	पैचवर्क के साथ एप्लिक वर्क, जरी
उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद, लखनऊ । (10 जनपद)  3. शहजहाँपुर ज़री-ज़रदोज़ी 4. गाजियावाद यांत्रिकी उत्पाद 5. संत रविदासनगर (भदोही) कालीन 6. सीतापुर देश 7. बहराइच गेंहूँ के डण्डल की कलाकृतियाँ एवं खाद्य प्रसंस्करण 8. जौनपुर ज़री-ज़रदोज़ी 10. हरदोई ज़री-ज़रदोज़ी 10. हरदोई ज़री-ज़रदोज़ी 11. बागपत घरेलू सजावटी सामान 2. अयोध्या गुड़ उत्पाद 12. अयोध्या गुड़ उत्पाद 13. सुल्तानपुर स्टील फैब्रीकेशन 14. पीलीभीत वांसुरी एवं युड उत्पाद 15. बिलया 16. महोबा गौरा पत्थरशित्य एवं धातुशित्य पवं फर्नीचर 17. श्रावरती 18. जालौन एवं भ्रानेंच एवं भ्रानुकल	_		20. रायबरेली	काष्टकला (वुड वर्क)
3. चत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद, लखनऊ। (10 जनपद)  (11 जनपद)  (12 अयोध्या पुरं क्याद तथा आयरन एण्ड स्टील फेब्रीकेशन (10 जनपद)  (13 स्त्रिं पुरं कुचिया (14 प्रां भाना (15 स्त्रिं प्रां भाना (16 सहोबा) (17 स्वर्धा प्रां प्रां प्रांचित कागज एवं प्रांचित कागज कागज कागज कागज कागज कागज कागज कागज			1.अ़लीगढ़	हैण्डीक्राफ्ट
3. चत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद, लखनऊ। (10 जनपद)  4. गाजियावाँद यांत्रिकी उत्पाद 5. संत रविदासनगर (भदोही) कालीन 6. सीतापुर दरी 7. वहराइच गेहूँ के डण्डल की कलाकृतियाँ एवं खाद्य प्रसंस्करण 8. जौनपुर ऊनी दरी 9. उन्नाव ज़री—ज़रदोज़ी 10. हरदोई ज़री—ज़रदोज़ी 11. वागपत घरेलू सजावटी सामान 12. अयोध्या गुड़ उत्पाद 13. सुल्तानपुर स्टील फेब्रीकेशन 14. पीलीभीत वांसुरी एवं वुड उत्पाद 15. बिलया विंदी 6. महोबा गौरा पत्थरशिल्प एवं धातुशिल्प 7. श्रावस्ती एवं फर्नीचर 8. जालौन 8. जालौन 7. श्रावस्ती हस्त निर्मित कागज एवं मटर प्रसंस्करण				
3.       5. संत रविदासनगर (भदोही)       कालीन         6. सीतापुर       दरी         7. वहराइच       गेहूँ के डण्डल की कलाकृतियाँ एवं खाद्य प्रसंस्करण         8. जौनपुर       ऊनी दरी         9. उन्नाव       जरी-जरदोजी         10. हरदोई       जरी-जरदोजी         1. वागपत       घरेलू सजावटी सामान         2. अयोध्या       गुड़ उत्पाद         3. सुल्तानपुर       स्टील फेब्रीकेशन         4. पीलीभीत       वासुरी एवं वुड उत्पाद         5. विलया       विंदी         6. महोबा       गौरा पत्थरशिल्प एवं धातुशिल्प         7. श्रावस्ती       जनजातीय शिल्प (ट्राइवल काफ्ट एवं फर्नीचर         8. जालौन       इस्त निर्मित कागज एव मटर प्रसंस्करण         लकडी के विवलौने एवं काष्ट्रकल				
3.       (10 जनपद)       6. सीतापुर       दरी         7. वहराइच       गेहूँ के डण्डल की कलाकृतियाँ एवं खाद्य प्रसंस्करण         8. जौनपुर       ऊनी दरी         9. उन्नाव       ज़री-ज़रदोज़ी         10. हरदोई       ज़री-ज़रदोज़ी         1. वागपत       घरेलू सजावटी सामान         2. अयोध्या       गुड़ उत्पाद         3. सुल्तानपुर       मूंज उत्पाद तथा आयरन एण्ड स्टील फेंग्रीकेशन         4. पीलीभीत       वासुरी एवं वुड उत्पाद         5. बिल्या       बिंदी         6. महोबा       गौरा पत्थरशिल्प एवं धातुशिल्प         7. श्रावरती       जनजातीय शिल्प (ट्राइवल काफ्ट एवं फर्नीचर         8. जालौन       इस्त निर्मित कागज एव मटर प्रसंस्करण         लकडी के खिलाने एवं काष्ट्रकल	7.1	The second secon		
7. यहराइच गेहूँ के डण्टल की कलाकृतियाँ एवं खाद्य प्रसंस्करण 8. जौनपुर ऊनी दरी 9. उन्नाव ज़री-ज़रदोज़ी 10. हरदोई ज़री-ज़रदोज़ी 1. वागपत घरेलू सजावटी सामान 2. अयोध्या गुड़ उत्पाद 3. सुल्तानपुर मूंज उत्पाद तथा आयरन एण्ड स्टील फेंग्रीकेशन 4. पीलीभीत वांसुरी एवं वुड उत्पाद 5. बिलया विंदी 6. महोबा गौरा पत्थरशिल्प एवं धातुशिल्प जनजातीय शिल्प (ट्राइबल काफ्ट एवं फर्नीचर हस्त निर्मित कागज एव मटर प्रसंस्करण	3.	-0		
7. वहराइच       एवं खाद्य प्रसंस्करण         8. जौनपुर       ऊनी दरी         9. उन्नाव       ज़री—ज़रदोज़ी         10. हरदोई       ज़री—ज़रदोज़ी         1. वागपत       घरेलू सजावटी सामान         2. अयोध्या       गुड़ उत्पाद         3. सुल्तानपुर       मूंज उत्पाद तथा आयरन एण्ड         स्टील फंब्रीकेशन       4. पीलीभीत       वांसुरी एवं वुड उत्पाद         5. विलया       विंदी         6. महोबा       गौरा पत्थरशिल्प एवं धातुशिल्प         एवं फर्नीचर       एवं फर्नीचर         8. जालौन       इस्त निर्मित कागज एवं मटर         प्रसंस्करण       लकडी के खिलौने एवं काष्ट्रकल		(10 जनपद)		
4.       उठप्र० खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ (10 जनपद)         4.       उठप्र० खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ (10 जनपद)         4.       उठप्र० खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ (10 जनपद)             4.       पीलीभीत वासुरी एवं वुड उत्पाद विंदी         5.       बलिया विंदी         6.       महोबा गौरा पत्थरशिल्प एवं धातुशिल्प जनजातीय शिल्प (ट्राइवल काफ्ट एवं फर्नीचर हस्त निर्मित कागज एव मटर प्रसंस्करण लकडी के खिलोने एवं काष्ट्रकल			7. वहराइच	एवं खाद्य प्रसंस्करण
10. हरदोई ज़री-ज़रदोज़ी 1. वागपत घरेलू सजावटी सामान 2. अयोध्या गुड़ उत्पाद 3. सुल्तानपुर मूंज उत्पाद तथा आयरन एण्ड स्टील फेब्रीकेशन 4. पीलीभीत वांसुरी एवं वुड उत्पाद 5. बिलया विंदी 6. महोबा गौरा पत्थरशिल्प एवं धातुशिल्प 7. श्रावस्ती एवं फर्नीचर 8. जालौन एवं फर्नीचर ककड़ी के खिलोंने एवं काष्ट्रकल			8. जौनपुर	ऊनी दरी
4.       1. वागपत       घरेलू सजावटी सामान         2. अयोध्या       गुड़ उत्पाद         3. सुल्तानपुर       मूंज उत्पाद तथा आयरन एण्ड स्टील फेंब्रीकेशन         4. पीलीभीत       वांसुरी एवं वुंड उत्पाद         5. बिलया       विंदी         6. महोबा       गौरा पत्थरशिल्प एवं धातुशिल्प         7. श्रावस्ती       जनजातीय शिल्प (ट्राइवल काफ्ट एवं फर्नीचर         8. जालौन       इस्त निर्मित कागज एवं मटर प्रसंस्करण         लकडी के खिलौने एवं काफ्टकल				
4.       2. अयोध्या       गुड़ उत्पाद         4.       जनपद)       मूंज उत्पाद तथा आयरन एण्ड स्टील फेब्रीकेशन         4. पीलीभीत       बांसुरी एवं वुंड उत्पाद         5. बिलया       बिंदी         6. महोबा       गौरा पत्थरशिल्प एवं धातुशिल्प         7. श्रावस्ती       जनजातीय शिल्प (ट्राइबल काफ्ट एवं फर्नीचर         8. जालौन       इस्त निर्मित कागज एवं मटर प्रसंस्करण         लकडी के खिलौने एवं काष्ट्रकल				
4.       पीलीभीत       बांसुरी एवं वुड उत्पाद         5.       बिंदी         6.       महोबा       गौरा पत्थरशिल्प एवं धातुशिल्प         7.       श्रावस्ती       जनजातीय शिल्प (ट्राइवल काफ्ट एवं फर्नीचर         8.       जालौन       हस्त निर्मित कागज एव मटर प्रसंस्करण         लकडी के खिलौने एवं काष्ट्रकल				
4. पीलीभीत वासुरी एवं वुड उत्पाद  कार्यन्क (10 जनपद)  3. सुल्तानपुर 4. पीलीभीत वासुरी एवं वुड उत्पाद 5. बिलया 6. महोबा गौरा पत्थरशिल्प एवं धातुशिल्प 7. श्रावस्ती जनजातीय शिल्प (ट्राइबल काफ्ट एवं फर्नीचर 8. जालौन 8. जालौन नकडी के खिलौने एवं काफ्टकल			2. अयोध्या	0
4.       उ०प्र० खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ (१० जनपद)       5. बिलया       बिंदी         6. महोबा       गौरा पत्थरशिल्प एवं धातुशिल्प         7. श्रावस्ती       जनजातीय शिल्प (ट्राइबल काफ्ट एवं फर्नीचर         8. जालौन       हस्त निर्मित कागज एव मटर प्रसंस्करण         लकडी के खिलौने एवं काफ्टकल			3. सुल्तानपुर	स्टील फैब्रीकेशन
4.       लखनऊ (10 जनपद)       6. महोबा       गौरा पत्थरशिल्प एवं धातुशिल्प         7. श्रावस्ती       जनजातीय शिल्प (ट्राइबल काफ्ट एवं फर्नीचर         8. जालौन       हस्त निर्मित कागज एव मटर प्रसंस्करण         लकडी के खिलौने एवं काष्ट्रकल			4. पीलीभीत	बांसुरी एवं वुड उत्पाद
4.       (10 जनपद)       6. महोबा       गौरा पत्थरशिल्प एवं धातुशिल्प         7. श्रावस्ती       जनजातीय शिल्प (ट्राइबल काफ्ट एवं फर्नीचर         8. जालौन       हस्त निर्मित कागज एव मटर प्रसंस्करण         लकडी के खिलौने एवं काष्ट्रकल		and the second s	5. बलिया	बिंदी
7. श्रावस्ती जनजातीय शिल्प (ट्राइवल काफ्ट एवं फर्नीचर 8. जालौन हस्त निर्मित कागज एव मटर प्रसंस्करण	4.	4	6. महोबा	गौरा पत्थरशिल्प एवं धातुशिल्प
8. जालौन हस्त निर्मित कागज एव मटर प्रसंस्करण लकडी के खिलौने एवं काष्ट्रकल			7. श्रावस्ती	जनजातीय शिल्प (ट्राइवल काफ्ट) एवं फर्नीचर
्र लकडी के खिलौने एवं काष्टकल			8. जालौन	हस्त निर्मित कागज एव मटर
9. चित्रकूट उत्पाद			9. चित्रकूट	लकड़ी के खिलौने एवं काष्टकला



		10. प्रयागराज	मूंज उत्पाद एवं फूड प्रोसेसिंग
		10. अवागराज	जनजातीय शिल्प (ट्राइबल काफ्ट)
		1. लखीमपुर खीरी	एवं गुड़ उत्पाद
		2. गोरखपुर	मिट्टी के बर्तन (टेराकोटा) एव रेडीमेड गारमेंट्स उत्पाद
5.	उ०प्र० डिजाइन संस्थान लखनऊ (07 जनपद)	3. वाराणसी	रेशम उत्पाद एवं गुलाबी मीनाकारी, वूडेन लेकर वेयर व ट्वॉयज
	(07 जनपद)	4. अमेठी	मूंज उत्पाद एवं खाद्य प्रसंस्करण
		5. लखनऊ	चिकनकारी एवं ज़री-ज़रदोज़ी
		6. आगरा	स्टोन/मार्बल द्वारा निर्मित सभी प्रकार के हस्तशिल्प उत्पाद
		7. बरेली '	जरी–जरदोजी एवं बास के उत्पाद/सुनारी उद्योग
6.	पी०पी०डी०सी०, मेरठ।	मेरठ	खेल का सामान
7.	कांच उद्योग विकास केन्द्र, (सी०डी०जी०आई०) फिरोजाबाद	फिरोजाबाद	कांच उत्पाद
8.	सुगंध एवं सुरस विकास केन्द्र, (एफ०एफ०डी०सी०) कन्नौज	कन्नौज	इत्र उत्पाद तथा अगरबत्ती एवं धूपबत्ती उत्पाद
		1. कानपुर नगर	होजरी एवं टेक्सटाइल उत्पाद
	द अपैरल ट्रेनिंग एवं डिजाइन	2. गौतमबुद्ध नगर	सिले–सिलाए वस्त्र एवं टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स
9.	सेंटर, कानपुर (05 जनपद)	3. अम्बेडकर नगर	वस्त्र उत्पाद
	(७५ जनपद)	४. इटावा	वस्त्र उत्पाद एवं सिलाई (टेलरिंग तथा वस्त्र कढ़ाई)
	*	5. मैनपुरी	वस्त्र सिलाई एवं कढ़ाई (ज़री–ज़रदोज़ी )
10.	आरसेटी, रायबरेली	रायबरेली	काष्टकला (वुड वर्क)
y n	धातु हस्तशिल्प सेवा	1.मुरादाबाद	धातु शिल्प
11.	केन्द्र,(एम०एच०एस०सी०) मुरादाबाद	2.मिर्जापुर	मेटल उद्योग (ब्रास)
	केन्द्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान,	1. कानपुर नगर	चमड़े के उत्पाद
12	आगरा	2. हमीरपुर	<u> जू</u> ती
13	कानपुर, उन्नाव लेदर क्लस्टर डेवलपमेण्ट कम्पनी लि0 जिला–उन्नाव	उन्नाव	चर्म उत्पाद
14	मैo जेoडीo वेलफेयर सोसायटी, आगरा (ओ.डी.ओ.पी. सी.एफ.सी.)	आगरा	चर्म उत्पाद



#### संलग्नक−2

प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से पूर्व प्रशिक्षणदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सूचना

जनपद का नाम— मण्डल का नाम—

### वित्तीय वर्ष-2024-25

बैच संख्या	ओ०डी०ओ०पी० उत्पाद का नाम -	TOT प्रमाण पत्र प्राप्त प्रशिक्षक का नाम	् प्रशिक्षण स्थल का पता	प्रशिक्षण अवधि (दिनांकसे दिनांकतक) <b>बैचवार</b>	प्रशिक्षार्थियों की संख्या
1,	2		3	4	5

नोडल का नाम व हस्ताक्षर प्रशिक्षणदायी संस्था का नाम-

#### संलग्नक-3

प्रशिक्षणोंपरान्त उपांयुक्त उद्योग द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला प्रमाण-पत्र

जनपद का नाम— मण्डल का नाम —

## वित्तीय वर्ष-2024-25

बैच	प्रशिक्षणदायी	<sub></sub> प्रशिक्षण	प्रशिक्षण	प्रशिक्षण	प्रशिक्षण	प्रशिक्षण के	अभ्युक्ति
संख्या	संस्था का	स्थल	वार्षिक	उपलब्धि	अवधि	सम्पादन की	
,,,,,,,,	नाम	का पता	लक्ष्य	(संख्या)	(दिनांक.	स्थिति	
	1		(संख्या)		से	(संतोषजनक /	
	41	-	7		दिनांक	असंतोषजनक)	
			,		तक)		
1	2	3	-	4	5	6	7

(नाम से) उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र ...

शासनादेश संख्या—347/18—4—2020—4(विविध)/20 दिनांक 05.05.2020 द्वारा "एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम" के अन्तर्गत दक्षता/कौशल विकास/उद्यमिता विकास प्रशिक्षण व दूलिकट वितरण किये जाने का

अगुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक संख्या—102 दिनांक 06.06.2024 द्वारा "एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम" के अन्तर्गत दक्षता / कौशल विकास / उद्यमिता विकास प्रशिक्षण व टूलिकट वितरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024—25 में समस्त जनपदों में 25000 हस्तशिल्पयों / उद्यमियों / कारीगरों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु वार्षिक लक्ष्य आवंटित किया गया है। कार्यालय पत्रांक—152 दिनांक 26.06.2024 द्वारा योजनान्तर्गत समस्त जनपदों में 25000 हस्तशिल्पयों / उद्यमियों / कारीगरों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न कराये जाने हेतु जनपदवार प्रशिक्षणदायी संस्थाओं को नामित किया गया है।

शासन के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 के आदेश संख्या-309/18-4-2024-18 (विविध)/17टी०सी0-4 दिनांक 04.06.2024 एवं आदेश संख्या- 696/18-4-2024-18(विविध)/17टी०सी0-4 दिनांक 23.09.2024 द्वारा 'एक जनपद एक उत्पाद' के अन्तर्गत 'कौशल उन्नयन व टूलिकेट योजना' के क्रियान्वयन हेतु क्रमशः धनराशि रू० 1550.00 लाख (रू० पन्द्रह करोड़ पचास लाख मात्र) एवं धनराशि रू० 3100. 00 लाख (रू० इक्तीस करोड़ मात्र) इस प्रकार योजना के मद में कुल धनराशि/ 4650.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गयी है।

उक्त के क्रम में निम्नलिखित तालिका में अंकित प्रशिक्षणदायी संस्थाओं द्वारा जनपदों में प्रशिक्षण सम्पन्न करा दिया गया है तथा सम्बन्धित जनपदों से संतोषजनक प्रशिक्षण की सूचना प्राप्त हो गयी है। सन्दर्भित शासनादेश के अनुसार निमनलिखित तालिका में अंकित सम्बन्धित प्रशिक्षणदायी संस्थाओं द्वारा 50 प्रतिशत द्वितीय व अन्तिम किश्त की धनराशि भुगतान किये जाने हेतु किये गये अनुरोध के क्रम में सम्बन्धित संस्थाओं के पक्ष में धनराशि भुगतान किये जाने का विवरण निम्नवत् है :—

								प्रशिक्षणदायी
क्र	प्रशिक्षणदायी	प्रशिक्षण	प्रशिक्षण	प्रशिक्षण	प्रशिक्षण	प्रशिक्षण हेतु	प्रशिक्षणदायी	प्राशिक्षणदाया संस्था का बैंक का
0	संस्था का	हेतु वार्षिक	हेतु रू०	हेतु	हेतु 50	भुगतान की	संस्था का मांग	नाम, बैंक खाता
सं	नाम	लक्ष्य	6500.00	भुगतान	प्रतिशत	जाने वाली	पत्र व दिनांक	माम, बक खाता संख्या व IFSC
0	I	(संख्या में)	(10 दिवस	की गयी	द्वितीय व	द्वितीय व		Code
*			का) प्रति	50	अंतिम	अंतिम किश्त		Code
			प्रशिक्षार्थी	प्रतिशत	किश्त हेतु	की धनराशि		
			की दर से	प्रथम	देय	(लाख में)		
			कुल देय	किश्त की	धनराशि			
			धनराशि	धनराशि	(लाख में)			
			(लाख में)	(लाख में)	\			
1	2	3	. 4	5	6	/7	8	9
1.	उद्यमिता	5800	377.00	188.50	188.50	188.50	डी-986(A)/	बैंक का नाम-बैंक
"	विकास /						2024-25	वक का नाम—बक आफ बड़ौदा
	संस्थान,						दिनांक 13,11.	सरोजनी नगर
	लखनऊ						2024	कानपुर रोड़
	01010						2024	लखनऊ। /
						1 5		खाता सं.
								-3649010000055
								0 /
								IFS Code-
								BARBOSAROJI
2.	यूपिकॉन,	6200	403.00	201.50	201.50	201.50	1345 / यूपीकॉन /	वैंक का
	विभूति /						प्र0नि0 ∕ ल0 ∕	नामयूनियन वैंक
	खण्ड,						2024-25 दिनांक	आफ इंडिया /
	गोमतीनगर,		1.4				12.11.2024	विभूति खण्ड
	लखनऊ							लंखनऊ।
								खाता सं.–
	¥2							64450101005016
								4 /
								IFS Code-
								UBIN0564451

<b>D</b>								
3.	द अपैरल ट्रेनिंग एण्ड डिजाइन सेंटर, कानपुर	1850	120.25	60.125	60.125	60.125	ATDC/UP- DIC/ODOP (RPL)Payment /2024/22-24/6 दिनांक—23.10. 2024	बैंक का नाम—इण्डियन ओवरसीज वैंक, ब्रांच अपैरल हाउस, गुरूग्राम, हरियाणा खाता नं0—18040100002 5000 आई०एफ०एस०सी० कोड—
4.	काँच उद्योग विकास केन्द्र (सीठडीठजीठ आईठ) फिरोजाबाद	300	19.50	9.75	9.75	9.75	सीडीजीआई / ओ०डी०ओ०पी० / प्रशिक्षण / 2024—2 5 / 411 दिनांक 13.11. 2024	विष्ठत-0001804 वैंक का नाम—एक्सिस वैंक लिमिडेट फिरोजाबाद खाता नं0—67201010002 0712, आई०एफ०एस०सी० कोड—UTIB- 0000672
5	. सुगंध एवं सुरस ( विकास केन्द्र, कन्नौज	200	13.00	6.50	6.50	(6.50	एफएफडीसी / केए नजे / एरोमा टूलिकट / ओडीओ पी / 2024—25 / 7 77 दिनांक 13.11. 2024	बँक का द नाम—स्टेट वँक इण्डिया, सरांयमीरा, कन्नौज खाता सं. –10892289104 IFS Code- SBIN0000664
	5. उоप्र० खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।	2750	178.75	89.375	89.375	(89.375	पत्रांक—1315 / खा 0ग्रा०बो० / प्रशिक्षण / ओडीओपी 2024—25 दिनांक 13.11. 2024	बैंक का नाम—पंजाब नेशनल बैंक, विपुल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। खाता सं, —4483000100028 987 IFS Code- PUNB0448300
	7. इण्डियन बैंक ग्रामीण स्वरोजगर प्रशिक्षण संस्थान, (आरसेटी) रायबरेली	150	9.75	4.875	4.875	4.875	सन्दर्भ / इण्डियन बैंक, आरसेटी / 2024–2 5 / 39 दिनांक 13.11. 2024	वैंक का नाम—इण्डियर्न बैंक, रेलवे स्टेशन, रायबरेली खाता संख्या—50011874 442 IFS Code- ( IDIB000R513
•	8. मैंo जेoडीo वेलफेयर सोसायटी, आगरा (ओ.डी.ओ. पी. सी.एफ. सी.)		19.50	9.75	9.75	( 9.75	सी०एफ०सी० / 126 / ओठडी०ओ०पी० / 2 024—25 दिनांक 18.11.2024	बँक का नाम– PUNJAB NATIONAL BANK, ( DHANOLI, AGRA खाता सं.– ( 03701132000648

_						/		IFS Code- PUNB0037010
9.	उ०प्र० डिजाइन संस्थान, लखनऊ	2550	165.75	82.875	82.875	82.875	175 / उ०प्र०डि० संस्थान(ल.) / 2024—25 दिनांक 13.11.2024	बँक का नाम—भारतीय स्टेट बँक शहीद पथ, मेदान्ता शाखा लखनऊ खाता सं0—10248240991 IFSC- SBIN0061418
	कानपुर, उन्नाव लेदर क्लस्टर डेवलपमेंट कम्पनी लि0, जिला–उन्ना व	50	3.25	1.625	1.625	(1.625	केयूएलसी / ओडीओपी / प्रशिक्षण / 2024—25 / 005 दिनांक 29.10. 2024	बँक का नाम— State Bank of India, The Mall Kanpur Main Branch खाता सं0–31160947231 IFSC- SBIN0000107
11.	एम.एस.एम. ई. प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र (प्रक्रिया सह उत्पाद विकास केन्द्र) मेरठ	400	26.00	13.00	13.00	(13.00	PPDCM/7(19)20 24-25/181 दिनांक 13.11. 2024	बैंक का नाम— PUNJAB NATIONAL BANK खाता सं0— 21590021000031 75 IFS Code- PUNB0215900
12.	उ०प्र० निर्यात सवर्धन परिषद, लखनऊ	3600	234.00	117.00	117.00	(117.00	430 / यूपीईपीसी / ओ.डी.ओ.पी. / 2024-25 दिनांक 18.11. 2024	बैंक का नाम-बैंक ऑफ बडौदा, लखनऊ कैण्ट रोड, खाता / सं0—28100100012 615 , IFSC- BARBOLCANBS
13	केन्द्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान, आगरा	250	16.25	8.125	8.125	(6.50	के०पा०प्र०सं० / प्रशि० / 5(73) / ओ०डी०ओ०पी० / 2 024—25 / 304 दिनांक 12.11. 2024	बँक का नाम—इण्डियन ओवरसीज बैंक, अरतोनी शाखा, आगरा खाता सं0—0423020000 00103 IFS Code- IOBA0000423
14	धातु हस्त शिल्प सेवा केन्द्र (एम. एच.एस.सी) मुरादाबाद।	600	39.00	19.50	19.50	6.50	एम०एच०एस०सी० /प्रशा०/ ओठडी०ओ०पी०-6 /2024-25/158 दिनांक 13.11. 2024	बैंक का माम—केनरा बैंक स्टेशन रोड, मुरादाबाद र्खाता सं0—03662010049 56 IFS Code-
	ı	1				1		CNRB0000366

उपरोक्त के दृष्टिगत तालिका के कॉलम संख्या—2 में अंकित प्रशिक्षणदायी संस्थाओं को तालिका के कॉलम संख्या—7 में अंकित 50 प्रतिशत द्वितीय वं अंतिम किश्त की धनराशि रू० 7,97,87,500.00 (रू० सात करोड सत्तानबे लाख सत्तासी हजार पांच सौ मात्र) का भुगतान लेखाशीर्षक—2851—00—102—3001 के अर्न्तगत प्रदान किये जाने की स्वीकृति इस निर्देश के साथ की जाती है कि शासनादेश संख्या—347/18—4—2020—4(विविध)/20 दिनांक 05.05.2020 में दिये गये दिशा—निर्देशों के अनुसार उक्त व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये। धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के अनुदान संख्या—03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अधीन लेखाशीर्षक—2851—ग्राम तथा लघु उद्योग, 102—लघु उद्योग, 3001—एक जनपद एक उत्पाद के अन्तर्गत कौशल एवं उन्नयन दूलिकेट योजना के नामे डाला

जायेगा।

(सुशील कुमार) वित्त नियंत्रक उद्योग, उ०प्र० (केo विजयेन्द्री**र्**गांडियन) आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ०प्र०

#### उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ०प्र० ओ०डी०ओ०पी० प्रकोष्ठ अनुभाग

पत्रांक 5 40/ओ.डी.ओ.पी./50/2024-25 प्रशिक्षण एवं टूलिकेट/2024-25 दिनांक- 28-11- 20 र प्

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त नियंत्रक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि संबंधित प्रशिक्षणदायी संस्थाओं को भुगतान किये जाने हेतु मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर नगर को उक्तानुसार धनराशि आवंटित कराने का कष्ट करें।

- 2. आहरण एवं वितरण अधिकारी, (केन्द्रीय बिल अनुभाग-16) उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ०प्र० कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त धनराशि रू० 7,97,87,500.00 (रू० सात करोड सत्तानबे लाख सत्तासी हजार पांच सौ मात्र) के आहरण की स्वीकृति कुल 14 संस्थाओं को उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या-07 के अनुसार धनराशि संबंधित प्रशिक्षणदायी संस्थाओं को कॉलम संख्या-9 के अनुसार उनके खाते में हस्तांतरित कराने का कष्ट करें।
- 3. महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 4. मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
- 5. समस्त सम्बन्धित प्रशिक्षणदायी सस्थाओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सुनील कुमार) संयुक्त आयुक्त उद्योग File No.: ESDP-104/2/2024-DCMSME-ESDP-(D-09)-Part(1) (4027888)

Government of India

Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises
Office of Development Commissioner (MSME)
Nirman Bhawan, New Delhi

Dated: 25.10.2024

The Accounts officer
Pay & Accounts Office (MSME)
New Delhi

# SANCTION ORDER ESDP-104/2/2024-DCMSME-ESDP-(D-09)-Part(1) - 4800 Grants-in-Aid-GEN (ESDP SCHEME -58)

Subject: Release of Grants-in-Aid GEN (non-recurring) for allocation of Rs. 24,12,70,000/- (Rupees Twenty Four Crore Twelve Lakh Seventy Thousand Only) to the 'TC-Baddi, TC-Bangalore, TC-Bhiwadi, TC-Bhopal, CDGI-Firozabad, CFTI-Agra, CFTI-Chennai, CIHT-Jalandhar, CITD-Hyderabad, CTR-Ludhiana, CTTC-Bhubaneswar, TC-Durg, ESTC-Ramnagar, FFDC-Kannauj, TC-Greater Noida, IDEMI-Mumbai, IDTR-Jamshedpur, IGTR-Ahmedabad, IGTR-Aurangabad, IGTR-Indore, PPDC-Agra, PPDC-Meerut, TC-Pudi, TC-Puducherry, TC-Rohtak, TC-Sitarganj, TC-Imphal' for the 'Entrepreneurship and Skill Development Programmes (ESDP) scheme' under the Plan Head "Entrepreneurship and Skill Development -MSMS" for organising EAP, ESDP & MDP training programmes during the current FY 2024-25.

Sanction is accorded for the payment of Rs. 24,12,70,000/- (Rupees Twenty Four Crore Twelve Lakh Seventy Thousand Only) with the approval of Competent Authority to designated Central Nodal Agency (CNA) i.e. Central Tool Room & Training Centre (CTTC), Bhubaneswar, a Government of India Society, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, for onward transfer of funds (fund flow) to TC-Baddi, TC-Bangalore, TC-Bhiwadi, TC-Bhopal, CDGI-Firozabad, CFTI-Agra, CFTI-Chennai, CIHT-Jalandhar, CITD-Hyderabad, CTR-Ludhiana, CTTC-Bhubaneswar, TC-Durg, ESTC-Ramnagar, FFDC-Kannauj, TC-Greater Noida, IDEMI-Mumbai, IDTR-Jamshedpur, IGTR-Ahmedabad, IGTR-Aurangabad, IGTR-Indore, PPDC-Agra, PPDC-Meerut, TC-Pudi, TC-Puducherry, TC-Rohtak, TC-Sitarganj, TC-Imphal as Grants-in-Aid for organizing EAP, ESDP & MDP training programmes during the current FY 2024-25 under 'Entrepreneurship and Skill Development Programmes (ESDP) scheme' of the Ministry of MSME. Institute wise details of the allocated programmes are furnished below:

S.No.	Name of Technology Centre	EAP	ESDP	MDP	Total	Amount (In Rs.)
1	TC-Baddi	4	1	1	6	255000
2	TC-Bangalore	145	8	61	214	6950000
3	TC-Bhiwadi	145	32	61	238	9950000
4	TC-Bhopal	38	88	4	130	11960000
5	CDGI-Firozabad	5	22	9	36	3300000
6	CFTI-Agra	6	8	2	16	1220000
7	CFTI-Chennai	44	50	6	100	7430000
8	CIHT-Jalandhar	115	46	33	194	9700000
9	CITD-Hyderabad	160	256	18	434	36100000
10	CTR-Ludhiana	80	11	3	94	3125000
11	CTTC-Bhubaneswar	220	36	JPAI 104	360	14100000

अपनियं के / AJAY Extent (IEDS)
अपनियं के शिष्टी / Joint Director (IEDS)
संग्रेव नियं के शिष्टी / Joint Director (IEDS)
संग्रेव कि शिष्टी / Joint Director (IEDS)
संग्रेव के शिष्टी / Joint Director (IEDS)
स्था के शिष्टी / Joint Director (IEDS)
स्था के शिष्टी / अपनियं में अपनियं के अपनिय

	Total	2166	1284	749	4199	241270000
27	TC-Imphal	6	0	4	10	320000
26	TC-Sitarganj	20	32	7	59	4750000
25	TC-Rohtak	16	13	1	30	1995000
24	TC-Puducherry	50	52	50	152	10000000
23	TC-Pudi	12	7	2	21	1215000
22	PPDC-Meerut	116	29	60	205	8945000
21	PPDC-Agra	70	65	56	191	12325000
20	IGTR-Indore	183	22	51	256	8960000
19	IGTR-Aurangabad	123	240	0	363	32460000
18	IGTR-Ahmedabad	100	108	30	238	17000000
17	IDTR-Jamshedpur	110	50	85	245	12700000
16	IDEMI-Mumbai	110	20	57	187	7550000
_ 15	TC-Greater Noida	105	10	15	130	4100000
14	FFDC-Kannauj	75	11	20	106	3875000
13	ESTC-Ramnagar	100	43	3	146	7525000
12	TC-Durg	8	24	6	38	3460000

- 2. This Sanction Order is issued on the basis of proposals received from the institute.
- 3. The Minimum One Week Advanced E-SDP Programme will be conducted with an intake capacity of about 20 participants. The Advanced E-SDP programmes will be conducted through IIMs/IITs/ICAR/CSIR/BARAC/IISC/ Agricultural University of Central and State Government, etc. of repute, will be roped in to provide ESDP training with a financial outlay of 80% of the cost, subject to a maximum Rs. 50000/- per candidate (whichever is lower). The remaining 20% can be provided by the candidate or in the form of Infrastructure and Academic support by respective institutions. In this programme, Central/State Govt. officers (including Ministry of MSME) can also participate to enhance their knowledge. In this case, 100% funding shall be provided for such candidates. The programme duration should not be less than a week (five working days). In case of outstation programme, cost of TA/DA to be borne by respective Individual/MSMEs or respective organization as the case may be.
- 4. The Minimum One Week Advanced MDP Programme will be conducted with an intake capacity of about 25 participants. Funding shall be provided with a financial outlay @ Rs. 4,000/- per candidate per day (Rs. 20,000/- for five nights and six days programme) for non-residential programme. In case of residential programme, Rs. 8000/- per candidate per day (Rs. 40,000/- for five nights and six days programme) shall be provided. In case of outstation programme, cost of TA/DA to be borne by respective Individual/MSMEs or respective organization as the case may be.
- 5. Udyam Registration details of MSME participants may be kept as record.
- 6. Efforts should be made to select maximum possible number of participants from SC, ST, OBC, Women&PH categories.
- 7. The funds are non-recurring in nature.
- 8. Procurement of permanent assets from the programme sanction is not allowed.
- 9. The Institute may use the fund for essential expenditure related to the training programme. The programmes must be completed in FY 2024-25 only.

अजय बाजपेई / AJAY BAJPAI संयुक्त निदेशक (आईईडीएस) / Joint Director (IEDS) संयुक्त निदेशक (आईईडीएस) / Joint Director (IEDS) संयुक्त निदेशक (आईईडीएस) / Joint Director (IEDS) संयुक्त सरकार / Govt. of India मारत सरकार / Govt. of India सारत सरकार / Govt. of India सरकार मंत्रालय (सू. लंड एवं मध्यम उद्यम का कार्यालय विकास आयुक्त (सू. लं. एवं म. उद्यम) का कार्यालय (त्रि. लंड प्रतिकास आयुक्त (सू. लंड एवं म. उद्यम) का कार्यालय (त्रि. लंड प्रतिकास अपकार (त्रत

- 10. While conducting the programmes, it may be ensured that guidelines of the ESDP scheme are strictly followed in terms of selection of candidates, quality of programmes, etc. so as to meet with the objective of ESDP programmes.
- 11. Proper recording of the programmes must also be ensured at the level of Institute through Videography and other parallel modes and provide the link to the ESDP scheme division of the Ministry for record management and further course of action.
- 12. The Course content, Videos for these approved training programmes must not be shared with any other Institute. It must be ensured by the institute that the training programmes are not conducted from any other payment.
- 13. The Institute shall furnish the statements of accounts & also submit the Utilization Certificate (UC) within 15 days after completion of programmes or before 15.03.2025 which is earlier.
- 14. The Implementing Agencies (IAs) have to upload the complete training calendar with guest faculty details for each of the allotted training programmes on the ESDP MIS Portal for the approval from the office of DC (MSME) within 15 days of programme sanctioned by O/o DC (MSME).
- 15. The Institute will report the completed numbers of training programmes in the monthly progress report in prescribed format on MIS portal of ESDP.
- 16. Industrial visit shall be planned for the participants
- 17. Interaction with successful entrepreneurs preferably gone through the ESDP Scheme training programmes shall also be made during the programme in order to develop confidence amongst the participants to choose entrepreneurship as career option.
- 18. The e-book of Ministry of MSME (<a href="https://msme.gov.in/e-book-schemes-msme">https://msme.gov.in/e-book-schemes-msme</a>) should be made available to all the participants of the programme in order to have insights of the schemes of the Ministry of MSME.
- 19. The Implementing Agency should follow the procedure prescribed under GFR, 2017, ESDP Scheme Guidelines, 2022 and the various guidelines under the economy measures.
- 20. It is hereby instructed that Implementing Agencies (IAs) are permitted to withdraw 70% funds only after receiving approval for the proposed programme on the ESDP MIS Portal from the Office of the Development Commissioner (O/o DC-MSME) and remaining 30% funds will be able to withdraw after completing the training programme.
- 21. It is hereby instructed that Implementing Agencies (IAs) must commence their approved programmes on quarterly basis and submit the programme details on the ESDP MIS Portal.
- 22. The Bank Details of CTTC, Bhubaneswar designated as Central Nodal Agency (CNA) is as under:

Name of the Organisation	Name of the Scheme	Name of the Bank		Account Type	Account No.	IFSC & MICR Code
CTTC, Bhubaneswar	ESDP	SBI	Infocity Branch, Bhubaneswar	Savings	41152607437	IFSC: SBIN0010133 MICR Code: 751002030

23. The expenditures shall be accommodated in Demand No. 68- Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) for the year 2024-25 as follows in the table:

i. Major Head

2851.00.102.98

Village and Small Industries, Small Scale Industry

Village and Small Industries, Small Scale Industry

अत्या कार्या कार्या में अपना (EDS)

अत्या कार्या कार्या मंत्रालय (अर्थ में अपना) / John Director (IEDS)

अत्या कार्या कार्या कार्या मंत्रालय (अर्थ मंत्रालय कार्या कार्या कार्या कार्या मंत्रालय कार्या का

ii.	Object Head (Grants-in-Aid GEN)	98.01.31	Entrepreneurship and Skill Development - MSMS: Grants-in-aid General: Entrepreneurship and Skill Development Programme (ESDP).
iii.	BE: GIA-GEN	Rs. 64,00,00,000/-	
iv.	SDG, if any		
v.	Previous allocation(s)	Rs. 26,66,96,590/-	
vi.	Balance available after previous allocation(s)	Rs. 37,33,03,410/-	
vii.	Present allocation	Rs. 24,12,70,000/-	standarde de la companya de la compa
viii.	Total allocation including this allocation	Rs. 50,79,66,590/-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ix.	Balance available after this allocation	Rs. 13,20,33,410/-	

24. This issues with the approval of Secretary, M/o MSME vide e-office Computer No. E 4027888 & with the concurrence of IFW vide their Dy. No. 169/2024-25/IFW. II dated 10.10.2024.

अजय बाजपेई AAA हैं किया संयुक्त निदेशक (आईईडीएस)/Join breco (IEDS) संयुक्त निदेशक (आईईडीएस)/Join breco (IEDS) भारत सरकार/Go (Ajavi Bajpai) स्थान प्रिकार अध्यक्त (स्. ल. एवं म. उद्यम) को कायोलय विकास आयुक्त (स्. ल. एवं म. उद्यम) को कायोलय Office of the Dev. Commissioner (MSME) निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011/Nirman Bhawan, New Delhi-110011

To

TC-Baddi, TC-Bangalore, TC-Bhiwadi, TC-Bhopal, CDGI-Firozabad, CFTI-Agra, CFTI-Chennai, CIHT-Jalandhar, CITD-Hyderabad, CTR-Ludhiana, CTTC-Bhubaneswar, TC-Durg, ESTC-Ramnagar, FFDC-Kannauj, TC-Greater Noida, IDEMI-Mumbai, IDTR-Jamshedpur, IGTR-Ahmedabad, IGTR-Aurangabad, IGTR-Indore, PPDC-Agra, PPDC-Meerut, TC-Pudi, TC-Puducherry, TC-Rohtak, TC-Sitarganj, TC-Imphal

Copy for information & necessary action to:

- 1. Central Tool Room & Training Centre (CTTC), MSME Tool Room, Bhubaneswar, B-36, Chandaka Industrial Area, Bhubaneswar-751024 to act as a Central Nodal Agency for allocating Funds under ESDP scheme.
- 2. Under Secretary, IFW, Ministry of MSME, Room.No.429, UdyogBhawan, New Delhi.
- 3. B & A Section, M/o MSME, Udyog Bhawan, New Delhi.
- 4. Planning & Budget Division, Office of DC (MSME), Nirman Bhawan, New Delhi.
- 5. PS to AS&DC (MSME) for kind information.
- 6. Guard file.

\*\*\*\*